



शिक्षक दिवस पर जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मु.मंत्री ने कई शिक्षकों को सम्मान पत्र भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। मु.मंत्री ने इस मौके पर नदबई निवासी अपने शिक्षक शंकरलाल शर्मा के भी पर चुरे तथ्या शॉल आढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र भेंट करके उनका अभिनन्दन किया। मु.मंत्री के साथ इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे।

राजस्थान के विद्यालयों के क्रमोन्नयन में कमी नहीं होगी- भजनलाल शर्मा

राज्य सरकार के 55 हजार 800 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया

जयपुर, 5 सितंबर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, वे नव पीढ़ी में चरित्र-निर्माण की मजबूत नींव डाल कर सक्षम नागरिक रूपी भवन का निर्माण कर रहे हैं। उनकी शिक्षा-ज्ञान से ही मनुष्य विचारशील और करुणा व सहानुभूति के भाव से समृद्ध होता है और एक प्रगतिशील व समावेशी समाज बनाता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है। शिक्षक प्रतिबद्धता और परिश्रम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं और समर्पण एवं निष्ठा से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए विद्यालय केवल अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से नहीं बल्कि शिक्षकों के अमूल्य ज्ञान से बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह

जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु-शिष्य परम्परा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय परम्परा में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है।

दिवस उनके असाधारण व्यक्तित्व एवं शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु-शिष्य संबंध की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने के क्रम में राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी से नवाजे जाने की परंपरा शुरू करने जा रही है।

समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा अपने शिक्षक शंकरलाल शर्मा को देखकर भावुक हो गए। वे मंच से उतरे, गुरु के चरण स्पर्श किए, उन्हें अपने निकट बैठाया एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने शिष्यों की सफलता के लिए अथक परिश्रम करते हैं। वे एक कुम्हार की तरह होते हैं जो मिट्टी को अपने अनुभव से गुंथता

है और एक सुंदर प्रतिमा बनाता है। उनके समर्पण का कोई मोल नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करने के अनुभव भी मंच से साझा किए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षा, लेब, पुस्तकालय, शौचालयों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये और 750 स्कूलों को बिल्डिंग को मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

साथ ही, हम स्कूल और कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के माध्यम से 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलेगी।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेशभर में शिक्षकों द्वारा बेहतरीन काम किया जा रहा है। इस शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों के अच्छे परीक्षा परिणाम भी आए हैं। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेशभर में 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के क्रम में शिक्षा विभाग ने अकेले ही 2 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने 11 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए और शिक्षक सम्मान पुस्तिका एवं शिवाया का विमोचन भी किया। साथ ही, प्रदेशभर में 55 हजार 800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा शाला स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत शिक्षक भी समारोह से जुड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने मु.मंत्री केजरीवाल की रिहाई के संकेत दिये

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को गिरफ्तारी सिर्फ जानबूझकर उन्हें जेल में रखने के लिए की गई है

नयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित सी.बी.आई. के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग के साथ ही गिरफ्तारी (सीबीआई की ओर से) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मु.मंत्री केजरीवाल की रिहाई के स्पष्ट संकेत दिये हैं।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की घंटी दलीलों ने सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखने का फैसला किया।

बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान राजू ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने की दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अधिनस्थ अदालत को दरकिनार करने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।

इस पर केजरीवाल पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत

- वकील सिंघवी ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के आदेश से पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को इस मामले में सी.बी.आई. की ओर से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया।
- सी.बी.आई. की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सिंघवी की दलीलों का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अगर कोई भी राहत दी जाती है तो यह हाई कोर्ट के सम्मान पर प्रतिकूल असर डालेगी।

आरोपी को नोटिस जारी करने के संबंध में वर्तमान याचिका में उठाया गए आरोपों पर हिरासत के दौरान बहस की गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता को फिर से उसी मुद्दे पर वहां बहस करने के लिए वापस भेजना न्यायोचित नहीं होगा। बेंच के समक्ष गुरुवार को सिंघवी ने कहा, शायद यह एकमात्र ऐसा मामला है, जिसमें मुझे (केजरीवाल) इस अदालत से सख्त घन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दो रिहाई आदेश मिले, जिसमें धारा 45 का प्रतिबंध है। उच्च न्यायालय से एक और विस्तृत आदेश मिला। फिर सीबीआई द्वारा इस पहले से तय गिरफ्तारी हुई। शीर्ष अदालत को सिंघवी ने यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम 2022

में दर्ज मुकदमे में नहीं था और उन्हें इस साल जून में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, तीन अदालती आदेश भेरे पक्ष में हैं। यह एक तय गिरफ्तारी है, ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सबाल ही नहीं है, क्योंकि लाबों दस्तावेज हैं, जिनमें से कई डिजिटल हैं। उनके मुकदमों के न्यायिक हिरासत में रहते हुए गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और इस मामले में पांच आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं।

उन्होंने दिल्ली अबकारी नीति मामले से संबंधित अन्य आरोपियों - दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और भारत

राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद के कविता के जमानत आदेशों का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

सिंघवी ने आगे कहा कि सी.आर.पी.सी. की धारा 41ए को 2010 में गिरफ्तारियों को विनियमित करने के लिए पेश किया गया था और इसका उद्देश्य ममाना गिरफ्तारियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना किसी वैध आधार के किसी को गिरफ्तार न कर सकें।

दूसरी ओर राजू ने केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने पहले सत्र न्यायालय में गृहार्र लाने के सोधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने कहा, यह मेरी प्रारंभिक आपत्ति है। गुण-दोष के आधार पर अधिनस्थ अदालत को पहले इस पर विचार करना चाहिए था।

उच्च न्यायालय को गुण-दोष देखने के लिए बनाया गया था और यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है। सामान्य मामलों में पहले सत्र न्यायालय का रुख करना पड़ता है। वे (केजरीवाल) यहां आए और फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया और फिर वे फिर से शीर्ष अदालत आए।

सिक्किम: सेना का वाहन खाई में गिरा, 4 शहीद

पाकयोंग (सिक्किम), 5 सितंबर। सिक्किम के पाकयोंग जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सेना के एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 4 जवान शहीद हो गए।

यह हादसा तब हुआ जब सेना का वाहन ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर यात्रा कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि ज़ब्रुकु जाते समय गुबुवार को सड़क दुर्घटना में कम से कम चार भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई।

यह दुर्घटना सिक्किम के पाकयोंग जिले में सिल्क स्ट्र पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन सड़क से फिसलकर लगभग 700 से 800 फीट नीचे खाई में गिर गया।

बढ़ते ... (प्रथम पृष्ठ का शेष) के कारण होने वाली पत्थर फलड्स की घटनाएं तथा मलवा गंधीर खतरा पैदा कर सकती हैं।

उदयपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में आरोपी बनाया है। वह कन्हैयालाल की दुकान से कुछ दूरी पर स्थित चूड़ी की दुकान में काम करता है। यदि वह मौके पर रेकी करने जाता तो वहां लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग होती। इसके अलावा, कॉल डिटेल्स के अनुसार, अपीलार्थी ने किसी को फोन नहीं किया था, बल्कि उसके पास फोन आया था और वह नंबर भी उसके पास सेव नहीं था। इसके अलावा, घटना के एक दिन पहले टी स्टॉल पर बैठकर षडयंत्र करना भी साबित नहीं है। इसका विरोध करते हुए एन.आई.ए. की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी ने घटना के दिन मुख्य आरोपी को फोन कर कन्हैयालाल के दुकान पर होने की बात बताई थी। इसके बाद मुख्य आरोपियों ने आकर घटना को अंजाम दिया था। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर उसका चीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया था। मामले में एन.आई.ए. ने जांच करते हुए रियाज अन्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एन.आई.ए. कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।

पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है। जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान अब और इब्राहिम फरार चल रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण में केवल 1.5 करोड़ रुपये खर्च किया गया, जबकि, राज्य के कोष से इस काम के लिए "236 करोड़ रुपए" लिए गए थे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी/1/63 इंडस्ट्रियल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधाम एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाक्स, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाम हाक्स, कुम्भाम हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यभट्ट नगर उदयपुर, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत पब्लिशिंग, चूगी नका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी/1/63, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोलीसिटी कार्यालय: - जी/1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोलीसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 नूतन कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

पुतिन ने यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता में भारत की भूमिका को अहम बताया

माँस्को, 5 सितंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से साथ जारी युद्ध के बीच मध्यस्थता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि भारत दोनों देशों के बीच बातचीत में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत के अलावा, चीन और ब्राजील का भी नाम लिया। पुतिन ने कहा कि भारत, चीन, और ब्राजील जैसे देश रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करा सकते हैं। उन्होंने इन देशों को वैश्विक मंच पर स्थिरता और शांति के समर्थक बताते हुए कहा कि उनके माध्यम से संघर्ष को सुलझाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर तीन देशों.. भारत, चीन और

पुतिन ने भारत के अलावा चीन और ब्राजील का भी नाम लिया और कहा, वे देश वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के प्रबल प्रवर्तक हैं।

पुतिन ने कहा, वे यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर तीन देशों.. भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं और इसे सुलझाने के लिए पूरी इमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' ने पुतिन के हवाले से अपनी खबर में कहा, "हम अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करते हैं। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' ने पुतिन के हवाले से अपनी खबर में कहा, "हम

ब्राजील के संपर्क में हैं और इसे सुलझाने के लिए पूरी इमानदारी से प्रयास कर रहे

चीन ने चुपचाप, बिना किसी हो हल्ला के डैंग ...

ऊर्जा लगा दी। निरंकुश सत्ता व नियंत्रण हासिल करने के लिए उन्होंने "प्रोलिटेरियन शासन" के अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और मामूली सा भी विरोध या उसका डर तक पनपने से पहले ही खत्म कर दिया।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माओ ने अपने सबसे विश्वासपात्र सदयोगियों तक को बन्दी बनाया। इनमें डैंग शिपिंग और जाओ एनलाई दोनो शामिल थे।

माओ इतने चतुर थे कि उन्हें पता था कि दोनों का अलग-अलग समय पर क्या महत्व हो सकता था। माओ ने कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जो नया राज्य बनाया था उसके लिए जाओ बहुत जरूरी थे। माओ ने जाओ को बर्दाशत किया साथ ही साथ वे उनके पर भी कतरते रहे।

डैंग शिपिंग के मामले में माओ ज्यादा ही निष्पूर थे, माओ को संदेह था कि डैंग उनके विचारों के प्रति निष्ठा था

नहीं हैं और इसलिए डैंग और उनके परिवार को काफी कुछ सहना पड़ा। जब डैंग को अपने परिवार की जरूरत थी तब उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया गया। डैंग के बड़े बेटे को इतना परेशान किया गया कि वह पृथुताह कैम्प से भाग निकला और इतना घायल हो गया कि जीवन के लिए अयोग्य हो गया।

माओ ने कई बार डैंग को मजबूर किया कि वे सार्वजनिक मंच से खुद की आलोचना करें लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई बार डैंग की जान बचाई खासकर "गैंग ऑफ फोर" से।

जब माओ को लगा कि उनका अंतिम समय है तो उन्होंने डैंग की बजाय हुआ गुओ के अपना उत्तराधिकारी बनाया तथा उन्हें पार्टी और मिलेट्री कमेट्री का चेयरमैन बना दिया।

लेकिन डैंग की तुलना में हुआ कमजोर थे। हालांकि हुआ और उनके

अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करते हैं। हम.. मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को इमानदारी से सुलझाना चाहते हैं। मैं इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहता हूँ।

रूस के राष्ट्रपति ने यह भी माना कि यूक्रेन की स्थिति जटिल है, और सीधा समाधान खोजना आसान नहीं है। लेकिन, भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के बीच मध्यमार्गी दृष्टिकोण और वैश्विक कूटनीतिक भूमिका के कारण ये देश मध्यस्थता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के पहले सप्ताहों में तुर्की के इस्तांबुल रूसी और यूक्रेनी पक्ष के बीच वार्ता हुई थी।

मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनी ए.ई.एम. का दौरा किया

सिंगापुर, 5 सितंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सिंगापुर की अग्रणी कंपनी एईएम का आज दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने यहां बताया कि मोदी को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एईएम की भूमिका, इसके संचालन और भारत के लिए कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और भारत के साथ सहयोग के अवसरों पर जानकारी साझा की। इस क्षेत्र की कई अन्य सिंगापुरी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सिंगापुर, 5 सितंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सिंगापुर की अग्रणी कंपनी एईएम का आज दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने यहां बताया कि मोदी को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एईएम की भूमिका, इसके संचालन और भारत के लिए कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और भारत के साथ सहयोग के अवसरों पर जानकारी साझा की। इस क्षेत्र की कई अन्य सिंगापुरी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

आज शी एक अलग मार्ग पर हैं। वे दुनिया के लिए चीन के खुले दरवाजों की नीति को कमजोर कर रहे हैं ओपन मार्केट और ओपन इकोनॉमी में डैंग मॉडल को फॉलो करने के बाद चीन काफी आगे बढ़ा इतना तो डैंग ने भी नहीं सोचा था। आज चीन बहुत ताकतवर है।

चीन की विदेश नीति भी अब बेहद आक्रामक है। जबकि डैंग के समय में चीन का रुख बेहद दोस्ताना था। चीन अब अपने फायदे के लिए विवाद खड़े करता है। इस नए दृष्टिकोण का रिजल्ट भी उतना ही अनिश्चित है जितना अनिश्चित चीन दैंग के जमाने में था।

सिंगापुर, 5 सितंबर (वार्ता)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सिंगापुर की अग्रणी कंपनी एईएम का आज दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने यहां बताया कि मोदी को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एईएम की भूमिका, इसके संचालन और भारत के लिए कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और भारत के साथ सहयोग के अवसरों पर जानकारी साझा की। इस क्षेत्र की कई अन्य सिंगापुरी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन भी मोदी के साथ मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को 11-13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को 11-13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के हमारे प्रयासों

धर्म के नाम पर वन भूमि ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए। जस्टिस पंजक भंडारी और जस्टिस प्रवीर पटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ का भी याचिका और शंकर लाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब संबंधित पहाड़ याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं है तो उनका ओर से किस अधिकार से पहाड़ खोदा गया। याचिकाकर्ता ने आरंभ में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज इस भूमि को आवंटित करने के लिए विभाग में आवेदन किया था, जिससे जाहिर है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि यह गैर मुमकिन पहाड़ है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ की याचिका इस आधार पर भी खारिज की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी याचिका में इस बात

का खुलासा नहीं किया कि मामले में अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका लंबित है।

श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीर्थ की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि टोंक के दून में पहाड़ पर महावीर स्वामी और पारश्वनाथ की मूर्तियां जमीन पर कब्जा कर रखा है। जैन शास्त्रों के अनुसार यह सैकड़ों साल पुरानी है। ऐसे में यह याचिकाकर्ता को दी जानी।

दूसरी तरफ शंकर लाल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि इस धार्मिक स्थल ने वन विभाग की इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। राजस्व रिकॉर्ड में यह गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज है। वन विभाग भी मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करा चुका है और पेनल्टी भी लगा चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।